213

संख्या– 30/XLII–1/2013–10(11)/2013

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2013

विषय–13 अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों के लिपिक /परिचारकों द्वारा योजित वाद पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2920/वाद/13वि0/2012–13 दिनांक 22.02.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या क्रमशः 1816, 1823 एवं 1827/2012 (एस0एस0) विभिन्न प्रतिवादी बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा तत्समान अन्य रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.01.2013 से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में कार्यरत लिपिक/परिचारकों को नियमानुसार वेतन भुगतान करने का कष्ट करें।

3. उक्त आदेश प्रश्नगत रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन माने जायेंगे।

भवदीय

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या– 30 /XLII–1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. महालेखाकार, ओबेराय विल्डिग, माजरा,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी को मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।